संख्या–442 / 21–उर्दू–1–2009(490 / 2008)

प्रेषक,

विजय कुमार त्रिपाठी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
फखरूद्दीन अली अहमद मेमो0 कमेटी
विभूति खण्ड,गोमती नगर,
लखनऊ।

भाषा (उर्दू) अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉकः 27 जनवरी,2010

विषयः–वेतन समिति, उत्तर प्रदेश 2008 के द्वितीय प्रतिवेदन भाग–2 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार फखरूद्दीन अली अहमद मेमो0 कमेटी के विभिन्न श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत वेतन बैण्ड / ग्रेड वेतन की स्वीकृति।

महोदय,

उत्तर प्रदेश की स्वशासी संस्थाओं के सम्बन्ध में वेतन समिति,2008 के द्वितीय प्रतिवेदन भाग–2 में की गई संस्तुतियों को सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा कतिपय संशोधनों के साथ संकल्प संख्या–वे0आ0–2–252 / दस–54(एम) / 2008 टी0सी0 दिनांक 07 फरवरी,2009 के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया है।

2– उक्त शासकीय संकल्प दिनांक 07 फरवरी,2009 के द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में फखरूद्दीन अली अहमद मेमो0 कमेटी के इस शासनादेश के संलग्नक के स्तम्भ–2 में उल्लिखित विभिन्न पदों के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित वर्तमान वेतनमानों को दिनॉक 01 जनवरी,2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में स्तम्भ–5 के अनुसार सादृश्य वेतन बैण्ड एव ग्रेड वेतन दिनांक 01 जनवरी,2006 अथवा दिये गये विकल्प की तिथि से प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य किये जाने एंव पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप वास्तविक लाभ का भुगतान इस शासनादेश के जारी होने के अगले माह से किये जाने जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उक्त कार्मिकों (राज्य सरकार अथवा अन्य किसी अधिष्ठान के कर्मचारी, जो संस्था में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, को छोड़कर) का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण दिनांक 01 जनवरी,2006 को राजकीय कर्मियों के लिए वेतन निर्धारण की प्रकिया के

.....2/

अनुसार किया जायेगा। परन्तु ऐसे कार्मिकों जिनके लिए 50 प्रतिशत के समतुल्य महंगा भत्ते की धनराशि को मंहगाई वेतन में परिवर्तित नहीं किया गया है, के लिए दिनांक 01 जनवरी,2006 को अनुमन्य मूल वेतन की 186 प्रतिशत धनराशि को बैण्ड वेतन माना जायेगा। उक्त निर्धारित बैण्ड वेतन एंव सादृश्य ग्रेड वेतन के योग को पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन माना जायेगा।

4— राज्य सरकार अथवा अन्य किसी अधिष्ठान के कर्मचारी जो संस्था में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं उन्हें पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ अपने मूल विभाग/अधिष्ठान के पद के सन्दर्भ में लागू निर्णय के अनुसार अनुमन्य होगा।

5— पुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतनवृद्धि की दर एक समान 03 प्रतिशत होगी तथा वेतनवृद्धि की तिथि समान रूप से 01 जुलाई रखी जायेगी।

6— पुनरीक्षित वेतन संरचना में उक्त कार्मिकों को मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता तथा प्रसूति अवकाश/बाल्य देखभाल अवकाश राज्य कर्मचारियों के लिए शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में वर्णित दरों के अनुसार संस्था में पुनरीक्षित वेतन संरचना के वास्तविक लाभ के भुगतान की तिथि से अनुमन्य कराया जायेगा। संकल्प दिनांक 07 फरवरी,2009 के अनुसार सामूहिक बीमा योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

7— उक्त संस्था के ऐसे पदधारक जिन्हें समयमान—वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नति/उच्च वेतनमान दिनॉक 01 जनवरी,2006 के पूर्व अनुमन्य हो चुका है उन्हें उक्त वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ अनुमन्य होगा, परन्तु ऐसे पदधारक जिन्हें उक्त लाभ दिनांक 01 जनवरी,2006 को अथवा उसके पश्चात पुनरीक्षित वेतन संरचना अपनाये जाने की तिथि के बाद वैयक्तिक रूप से अनुमन्य हुआ है, उन्हें उक्त लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य नहीं होगा। इसी प्रकार यदि सेवा अवधि के आधार पर पूर्व के वेतनमान में कोई अतिरिक्त वेतनवृद्धि पुनरीक्षित वेतन संरचना अपनाये जाने के बाद की तिथि से अनुमन्य हुयी हो तो उसके आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में ऐसी वेतनवृद्धि का लाभ देय नहीं होगा।

8— फखरूद्दीन अली अहमद मेमो0 कमेटी के कार्मिकों हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में समायमान/वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में लिये जाने वाले निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

.....3/

9— फखरूद्दीन अली अहमद मेमो0 कमेटी के कार्मिकों को यदि राजकीय कर्मचारियों से इतर कोई सुविधा अनुमन्य है तो उसका औचित्य बताते हुए उसे जारी रखने के सम्बन्ध में शासन का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

10— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—ई—7—1202/दस—2009 दिनांक 22 जनवरी,2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय कुमार त्रिपाठी,
विशेष सचिव

संख्या—442 (1)/21—उर्दू—1—2009(490/2008)तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार,(प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2— कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
3— वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग—7 उत्तर प्रदेश सचिवालय।
4— वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1
5— वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग—2 (दो प्रतियों में)
6— निदेशक सूचना एंव जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7— निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरों, वित्त विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।
8— श्री जमील अख्तर, सूचना सलाहकार, मा0 मुख्य मन्त्री जी उत्तर प्रदेश शासन।
9— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या–442/21–उर्दू–1–2009 (490/2008) दिनॉक 27 जनवरी,2010 का संलग्नक

क्र0सं0	पद अथवा सेवा का नाम	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतन संरचना			
			वेतनबैण्ड/वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतनबैण्ड/वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6	7
	1– वैयक्तिक सहायक–कम–प्रवर वर्ग सहायक–कम–लेखाकार	5000–150–8000	वेतन बैण्ड–2–	9300–34800	4200	
	2–कनिष्ठ लिपिक	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैण्ड–1–	5200–20200	1900	
	3–नैत्यिक लिपिक–कम–टंकक	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैण्ड–1–	5200–20200	1900	
	4– टंकक (उर्दू)	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैण्ड–1–	5200–20200	1900	
	5–ड्राइवर	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैण्ड–1–	5200–20200	1900	
	6– दफतरी	2610–60–3150–65–3540	–1 एस	4440–7440	1400	
	7–अनुसेवक	2550–55–2660–60–3200	–1 एस	4440–7440	1300	

प्रमाणित किया जाता है कि इस संलग्नक में उल्लिखित पदों की संख्या पदों का स्वरूप और उनके वर्तमान वेतनमान सही पाए गए हैं तथा वर्तमान आदेशों से सत्यापित कर दिए गए है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव